

प्रेस नोट

आज दिनांक 21.02.2021 को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 101/2021 धारा 420/406/504/506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) देवराज सिंह पुत्र स्व0 रामजियावन सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट खानपुर तहसील व थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 56 वर्ष व (2) रविकान्त सिंह पुत्र देवराज सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट खानपुर तहसील व थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 27 वर्ष को मोहनसराय हाईवे पुल के नीचे से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. देवराज सिंह पुत्र स्व. रामजियावन सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट खानपुर तहशील व थाना चुनार मिर्जापुर उम्र करीब 56 वर्ष
2. रविकान्त सिंह पुत्र देवराज सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट खानपुर तहशील व थाना चुनार मिर्जापुर उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 सत्येन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 सुजीत राय व का0 सुरेन्द्र यादव थाना रोहनियाँ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 21.02.2021 को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 363/366/506 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक पाल पुत्र चिरौजी लाल पाल निवासी ब्यौना राजा कोच कैलिया जनपद जालौन उ0प्र0 उम्र करीब 21 वर्ष को चाँदपुर चौराहे के पास से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार कर कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- दीपक पाल पुत्र चिरौजी लाल पाल निवासी ब्यौना राजा कोच कैलिया जनपद जालौन उ0प्र0 उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 इन्दुकान्त पाण्डेय, का0 विकास कुमार व म0का0 लक्ष्मी थाना रोहनियाँ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 21.02.2021 को थाना लोहता पुलिस को देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल से शिवपुर की तरफ से आ रहा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की इस सूचना पर थाना लोहता पुलिस मुखबिर को साथ लेकर पिसौर तिराहे पर पहुँचकर उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार पिसौर पुल की तरफ से पिसौर चौराहे की तरफ आता दिखाई दिया जिसकी तरफ मुखबिर ईशारा करके हट-बढ़ गया। जैसे ही वह व्यक्ति पिसौर तिराहे पर आया पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो पीछे मुड़कर भागना चाहा जिसे पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो बताया कि मेरा नाम राजू गौड़ पुत्र राम किशुन गौड़ उम्र करीब 28 वर्ष निवासी बखरिया थाना लोहता वाराणसी है। भागने का कारण पूछा गया तो बताया यह जो मोटरसाइकिल है यह चोरी की है। जिसको मैंने करीब ढाई माह पूर्व अपने गांव बखरिया से चोरी किया था। पकड़े जाने के डर से मैंने नम्बर प्लेट भी बदल दी थी। पुलिस को अचानक देखकर मैं भागना चाहता था परन्तु आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्त राजू गौड़ उपरोक्त को उसके किए गए अपराध मु0अ0सं0 302/2020 धारा 379/411/419/420 भा0द0वि0 का बोध कराकर समय करीब 12.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- राजू गौड़ पुत्र राम किशुन गौड़ उम्र करीब 28 वर्ष निवासी बखरिया थाना लोहता वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्रो (रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 65 BO 5585, इन्जन नं0 HA10ERFHE64391 व चेसिस नं0 MBLHA10BFFHE44869)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 सन्दीप कुमार पाण्डेय, का0 शंकर राम व का0 दिवाकर गुप्ता थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, इमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 122/2021 दिनांक: फरवरी, 21/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 21.02.2021 को थाना चौक के उ0नि0 ओम नारायण शुक्ल मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 20.02. को 2021 एक बिल्डर को असलहा दिखाकर धमकाने (मु0अ0सं0 0023/2021 धारा 323,504,506,452 भा0द0वि थाना चौक, वाराणसी) वाला अभियुक्त किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में श्रीराम सिंह अखाड़ा बेनिया के पास खड़ा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वासकर मुखबिर की निशानदेही पर उक्त स्थान से एक व्यक्ति को समय 06. बजे 40पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सदन पुत्र स्वप्यारे लाल 0, निवासी सी-21/5 व मलदहिया 6, थाना चेतगंज उम्र करीब वर्ष 32 बताया, जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज पिस्टल 32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना चौक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सदन पुत्र स्व0 प्यारे लाल, निवासी सी-21/5 व 6 मलदहिया, थाना चेतगंज उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद पिस्टल 32 बोर नाजायज व दो अदद जिन्दा कारतूस 7.65 KF

अभियुक्त सदन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0023/2021 धारा 323,504,506,452भा0द0वि थाना चौक , वाराणसी
2. मु0अ0सं0 0024/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौक, वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 ओम नारायण शुक्ल, हे0का0 भूपेन्द्र सिंह, का0 जगदीश कुमार, थाना चौक, जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 21.02.2021 को पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनहित/रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित निरीक्षक ना0पु0 को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया गया-

1. निरीक्षक अजय कुमार श्रोतिया – पुलिस लाइन से पी0आर0ओ0 पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी।
2. निरीक्षक महेन्द्र राम प्रजापति – पुलिस लाईन से काशी विश्वनाथ मंदिर/ज्ञानवापी सुरक्षा।
3. निरीक्षक कुलदीप दूबे – मॉनीटरिंग टीम से नि0अपराध, थाना कैण्ट।
4. निरीक्षक आशीष भदौरिया – प्र0 मीडिया सेल से थाना सिगरा।
5. निरीक्षक फूलचन्द्र – पुलिस लाईन से नि0अपराध, थाना रोहनियां।
6. निरीक्षक प्रदीप कुमार- पुलिस लाईन से थाना लंका।
7. निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय- पुलिस लाईन से थाना लंका।
8. निरीक्षक अरविन्द कुमार पाण्डेय- पुलिस लाईन से प्र0मीडिया सेल।
9. निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्र- पुलिस लाईन से नि0अपराध, थाना शिवपुर।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 21.02. को 2021थाना कैण्ट की मउ00नि0 रीता देवी मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के नदेसर में मौजूद थी कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि थाना कैण्ट में पंजीकृत मु0अ0सं0 968/2020 धारा 498 ए/420/406/323/313/377/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्त सचिन सिंह चौहान पुत्र शमशेर बहादुर नि0 ए16/14 लच्छीपुरा कालोनी घौसाबाद थाना कैण्ट वाराणसी अपने घर में मौजूद है, यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना कैण्ट पुलिस द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर अभियुक्त सचिन सिंह चौहान उपरोक्त को समय करीब 14.30 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सचिन सिंह चौहान पुत्र शमशेर बहादुर नि0 ए16/14 लच्छीपुरा कालोनी घौसाबाद थाना कैण्ट वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष

अभियुक्त सदन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 968/2020 धारा 498 ए/420/406/323/313/377/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- राकेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक, उ0नि0 रीता देवी, म0आरक्षी चन्दन यादव, का0हरिप्रकाश यादव, का0 सुरेद्र कुमार थाना कैण्ट वाराणसी



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 125/2021 दिनांक: फरवरी, 21/2021

प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 21.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 166 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5008 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 577 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 167 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1893 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा 147 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।